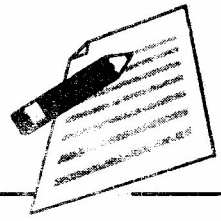

12

विवाह

अब तक आप जान गये होंगे कि विवाह एक महत्वपूर्ण सामाजिक सम्बन्ध है। यह सारी दुनिया में देखने को मिलता है। विवाह के माध्यम से ही विषम लिंगों के लोग, पति और पत्नी की तरह एक साथ रहने की स्वीकृति पाते हैं। दूल्हा और दुल्हन विवाह द्वारा ही अपने जीवन की एक नई अवस्था मानते हैं। आपने भी किसी समाज के विवाह के उत्सव में उससे जुड़ी हुई प्रसन्नता और समारोह में भागीदारी की होगी।

विवाह के साथ जो सार्थकता जुड़ी हुई है, उसे समाज में देखा जा सकता है। इस पाठ में यह जानकारी दी जायेगी कि विवाह एक सामाजिक संस्था की तरह कितना महत्वपूर्ण है।

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप:

- विवाह की परिभाषा दे सकेंगे;
- विभिन्न प्रकार के विवाहों का वर्णन कर सकेंगे;
- विवाह को एक धार्मिक संस्कार की तरह समझ सकेंगे;
- यह देख सकेंगे कि मुसलमानों में निकाह एक संविदा होता है; और
- विवाह की संस्था में आने वाले परिवर्तन को जान सकेंगे।

Notes

12.1 विवाह का अर्थ और उसकी परिभाषा

विवाह एक ऐसी संस्था है जो पुरुष और स्त्री की भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह पुरुष और स्त्री के सम्बन्धों को स्थाई सम्बन्धों के रूप में स्थापित करने की स्वीकृति देता है जिससे कि पुरुष और स्त्री परिवार का एक स्वरूप स्थापित कर सकें।

विवाह का प्राथमिक उद्देश्य, एक स्थायी सम्बन्धों के माध्यम से लैंगिक गतिविधियों को नियंत्रित करना होता है। यदि लैंगिक इच्छाएं मनमाने ढंग से चलें तब समाज में गंभीर खलल पैदा हो जायेगा। जीवन साथियों को पाने की अनावश्यक प्रतिस्पर्धा बढ़ जायेगी।

प्रत्येक समाज में, इसलिए, कुछ ऐसी संस्थाएं विकसित की जाती हैं जो कि अपने सदस्यों के वैवाहिक सम्बन्धों को निश्चित कर सकें। ऐसी संस्थाओं में विवाह भी एक है। विवाह के व्यवहार को नियंत्रित करने के अतिरिक्त विवाह पति और पत्नी को संतान उत्पन्न करने का अधिकार भी देता है और दोनों को इसकी स्वीकृति देता है कि वे अनेक अन्य सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों को मिलकर कर सकें।

सामान्य शब्दों में, विवाह को एक ऐसी संस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है जो आदमी और औरत को पारिवारिक जीवन स्थापित करने का मौका देती है। विवाह के माध्यम से ही यौन सम्बन्ध रखने की स्वीकृति मिलती है और वैवाहिक संबंध ही पति-पत्नी तथा बच्चों के जो सामाजिक दायित्व होते हैं उन्हें पूरा करने का अधिकार भी देते हैं।

यह समाज है कि पुरुष और स्त्री को सामान्यतया किसी नागरिक या धार्मिक समारोह द्वारा वैवाहिक सम्बन्ध रखने की स्वीकृति देता है। समारोह या उत्सव के समाप्त होने के बाद पति और पत्नी एक दूसरे के साथ रहते हैं और इस तरह एक परिवार को बनाते हैं। ये दोनों जिन बच्चों को जन्म देते हैं, वे समाज द्वारा कानूनन स्वीकृति पाते हैं। वैवाहिक पति-पत्नी को एक दूसरे के प्रति, सामान्यतया, समाज के प्रति अपने दायित्व निभाने होते हैं और इसके बदले में पति-पत्नी को कुछ अधिकार और सुविधाएं प्राप्त होती हैं।

अब तक आप समझ गये होंगे कि विवाह पुरुष और स्त्री का बहु आयामी सम्बन्ध है। इस अर्थ में लैंगिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो अस्थायी और शुद्ध रूप से जैविक सम्बन्ध होते हैं, वे विवाह से भिन्न हैं। विवाह में नागरिक समारोह, धार्मिक संस्कार या संविदा का होना आवश्यक है और जैवकीय सम्बन्धों को रखना तो केवल लैंगिक इच्छाओं की पूर्ति करना है।

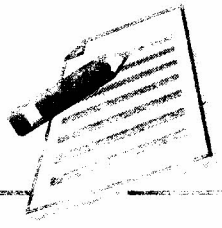

Notes

पाठगत प्रश्न 12.1

(1) निम्नलिखित कथन सही है या गलत; बताइए:

विवाह एक सामाजिक सम्बन्ध है, जो पारिवारिक जीवन की शुरूआत है।

(2) सही उत्तर छांटिए:

विवाह एक महत्वपूर्ण संस्था है, क्योंकि:

(अ) यह पति और पत्नी में स्थायी सम्बन्ध स्थापित करती है।

(ब) इसका उद्देश्य बच्चों का प्रजनन करना तथा उनका भरण-पोषण करना है।

(स) यह लैंगिक व्यवहार और सामाजिक सजातीयता को नियंत्रित करती है।

(द) उपर्युक्त सभी उत्तर सही हैं।

(3) रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए:

समाज पुरुष और स्त्री के बीच वैवाहिक सम्बन्धों की स्वीकृति..... और/अथवा ..... उत्सव द्वारा देता है।

(4) विवाह किसे कहते हैं? एक वाक्य में इसे समझाइए।

12.2 विवाह के प्रकार

विवाह के प्रकार और उससे जुड़े हुए नियम विभिन्न समाजों में अलग-अलग होते हैं। प्रत्येक समाज में विवाह से जुड़े हुए मानदण्ड और नियम होते हैं।

विवाह के प्रकार समझने के लिए हम इनको निम्न आधारों पर बांटते हैं:

(अ) पति-पत्नी की संख्या

(ब) जीवन साथी प्राप्त करने के तरीके

12.2.1 पति-पत्नी की संख्या के आधार पर विवाह के प्रकार

विवाह को दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकरण किया जा सकता है। इसका आधार एक महिला के कितने पति हैं या एक व्यक्ति की कितनी पत्नियां हैं:

(अ) एकविवाह (मोनोगैमी Monogamy)

(ब) बहुविवाह (पोलीगैमी Polygamy)

(अ) एक विवाह: एक विवाह, विवाह का एक प्रकार या स्वरूप है जिसमें एक

Notes

आदमी/औरत का विवाह एक औरत/आदमी के साथ एक निश्चित समय में होता है। कोई भी पुरुष या स्त्री एक विवाह किसी जीवन साथी की मृत्यु या विवाह-विच्छेद के कारण करती है।

एक विवाह का प्रकार विश्व भर में है।

(ब) **बहुविवाह** : विवाह का यह वह प्रकार है, जिसमें एक आदमी एक ही समय में एक से अधिक स्त्रियों को रखता है। दूसरा प्रकार वह है, जिसमें एक पत्नी एक से अधिक पुरुष रखती है।

बहुविवाह को दो अन्य प्रकारों में भी रखा जा सकता है:

(i) बहुपत्नी विवाह (Polygamy)

(ii) बहुपति विवाह (Polyandry)

(i) **बहुपत्नी विवाह:** विवाह का यह वह प्रकार है जिसमें एक आदमी एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है।

बहुपत्नी विवाह मुसलमानों में प्रचलित है। कई आदिवासी समाजों में भी विवाह का यह प्रकार पाया जाता है। प्राचीन काल में भी बहुपत्नी विवाह प्रचलित था। आप जानते हैं कि राजा दशरथ जो राम के पिता थे, की तीन रानियां थीं।

(ii) **बहुपति विवाह:** विवाह का दूसरा प्रकार बहुपति विवाह है। इस विवाह में एक स्त्री के एक से अधिक पति होते हैं। दूसरे शब्दों में, बहुपति विवाह में एक स्त्री को एक ही समय में एक से अधिक पति रखने की स्वीकृति होती है।

कुछ आदिवासियों में, जैसे कि उत्तरांचल के खस (Khas) में बहुपति प्रथा पायी जाती है। यदि कोई स्त्री एक से अधिक पुरुषों से जो आपस में भाई-भाई होते हैं, विवाह करते हैं, तब उसे भ्रातृ बहुपति विवाह (Fraternal Polyandry) कहते हैं। आप जानते हैं महाभारत के महाकाव्य में द्रोपदी के पांच पाण्डव पति थे। पांच पति के नाम से कई बार बहुपति भ्रातृ बहुपति विवाह को द्रोपदी विवाह भी कहते हैं।

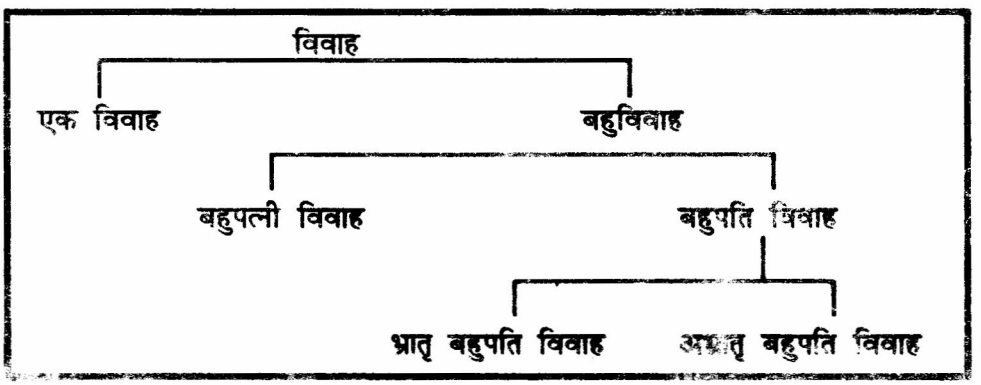

चित्र 12.1 साथी की संख के आधार पर विवाह के प्रकार

Notes

यदि किसी स्त्री के पति एक से अधिक हों और वे भाई न हों तो इस विवाह को अभ्रातृ बहुपति विवाह कहते हैं। ऐसे विवाह नीलगिरी के टोडा आदिवासियों और केरल के नायर में पाये जाते हैं।

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कई समाजों में बहुपत्नी विवाह पाये जाते हैं। लेकिन दुनिया भर में एक विवाह का प्रकार बहुत अधिक प्रचलित है।

पाठगत प्रश्न 12.2

(1) सही उत्तर छाँटिए:

विवाह का वह स्वरूप जिसमें एक आदमी एक ही समय में एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है:

(अ) भ्रातृत्व बहुपति विवाह

(ब) अभ्रातृत्व बहुपति विवाह

(स) बहुपत्नी विवाह

(द) बहुपति विवाह

(2) निम्न कथन सही हैं या गलत; बताइए:

विश्व भर में एक विवाह सबसे अधिक प्रचलित विवाह का स्वरूप है।

(3) रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए:

अधिकांश भारतीयों में ..... सबसे अधिक प्रचलित विवाह का स्वरूप है।

12.3 पति-पत्नी वरण के नियम

प्रत्येक समाज में वैवाहिक साहचर्य के निषेधात्मक नियम होते हैं, जो लैंगिक सम्बन्धों पर नियंत्रण रखते हैं। ऐसा नहीं होता कि समाज के सदस्य जिस किसी के साथ विवाह करना चाहते हैं, कर लें। उन्हें जीवन साथी के वरण में समाज के निषेधात्मक और निर्धारित नियमों का पालन करना होता है। यहां हम कुछ ऐसे नियमों का विवेचन करेंगे।

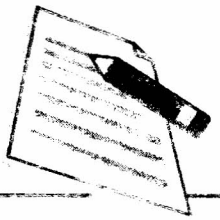

Notes

12.3.1 निषेधात्मक नियम

निषेधात्मक नियम वे हैं, जो अपने सदस्यों के वैवाहिक गठबंधन पर नियंत्रण रखते हैं। ये नियम वे होते हैं जो पुरुष और स्त्री के वैवाहिक गठबंधन का निषेध करते हैं। ऐसे नियम धार्मिक मानदण्डों और स्थानीय रीति-रिवाजों पर आधारित होते हैं।

कतिपय निषेधात्मक नियम जो बहुतायत रूप से पाये जाते हैं, इस प्रकार हैं:

(अ) अगम्यागमन निषेध

सभी समाजों में अगम्यागमन अर्थात् अपने कौटुम्बिक लोगों के साथ यौन सम्बन्ध वर्जित होता है। इसका अर्थ यह है कि भाई-बहिन या रक्त सम्बन्धी के साथ विवाह करने की मनाही होती है। मौटे अर्थों में वे लोग विवाह नहीं कर सकते जो परस्पर रक्त सम्बन्धी और एक ही परिवार के सदस्य हैं।

प्रत्येक समाज में पिता और पुत्री में विवाह करने का निषेध है। इसी तरह माता और पुत्र का और भाई और बहिन का विवाह वर्जित है। इस निषेध को निकटाभिगमन निषेध कहते हैं।

समाज निकट के रिश्तेदारों में भी विवाह करने की स्वीकृति नहीं देता। उदाहरण के लिए, उत्तर भारत के हिन्दुओं में चचेरे तथा ममेरे भाई-बहिनों में विवाह करना वर्जित है।

(ब) बहिर्विवाह के नियम

बहिर्विवाह वह परम्परा है, जिसमें एक आदमी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह एक निश्चित समूह के बाहर विवाह नहीं करेगा। दूसरे शब्दों में, वह अपने परिवार, गोत्र, गांव या किसी समूह जिसका उससे सम्बन्ध है से विवाह नहीं करेगा।

(स) अन्तःविवाह

अन्तः विवाह एक ऐसा रिवाज है, जिसके अनुसार व्यक्ति को अपने ही सामाजिक समूह या जाति में विवाह करना पड़ता है। यह अपना समूह, अपनी ही जनजाति या जाति अथवा धार्मिक समूह होता है परन्तु अपना ही गोत्र नहीं होता। अपवाद रूप में कभी-कभी गोत्र अन्तर्विवाही होता है। अधिकतर मामलों में गोत्र बहिर्विवाही होते हैं।

आदिवासी बहिर्विवाही सामाजिक समूह हैं। हिन्दुओं में जातियां अन्तः वैवाहिक होती हैं। मुसलमानों में दो अन्तःवैवाहिक इकाईयां 'सिया' और 'सुन्नी' होते हैं। ईसाइयों में

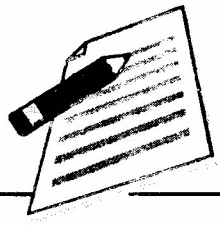

Notes

अन्त:वैवाहिक समूह होते हैं जैसे कि 'रोमन कैथोलिक' और 'प्रोटेस्टेन्ट' ।

परम्परा के अनुसार, भारत में जातियां अन्त:वैवाहिक समूह हैं। लेकिन अन्त:जातीय/अन्त:वर्ण विवाह प्राचीन भारत में अनलोम विवाह के नियम और प्रतिलोम विवाह के अनुसार होते थे।

(ब) अनुलोम

इस सामाजिक प्रथा के अनुसार ऊंची जाति का लड़का निम्न जाति की लड़की से विवाह कर सकता है। इस तरह एक ब्राह्मण लड़का निम्न जाति या वर्ण की लड़की से विवाह कर सकता है।

(ध) प्रतिलोम

इस विवाह में निम्न जाति का लड़का उच्च जाति की लड़की से विवाह कर सकता था। पारम्परिक भारतीय समाज में ऐसे विवाह को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था। इसलिए एक ब्राह्मण लड़की का निम्न जाति/वर्ण के लड़के के साथ विवाह स्वीकार नहीं किया जाता था।

12.3.2 निर्देशात्मक और अधिमान्य नियम

ऊपर के विवेचन से आपको ज्ञात हुआ होगा कि जीवन साथी के वरण में कतिपय प्रतिबन्ध होते हैं। कुछ अन्य नियम भी होते हैं जो विवाह गठबन्धन के प्रकारों को अधिमान्यता देते हैं। कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनमें कुछ विशेष रिश्तेदारी समूहों के साथ विवाह करने के निर्देश होते हैं। वे रिवाज जो यह स्पष्ट रूप से बताते हैं कि किसको किसके साथ विवाह करना चाहिए, या विवाह करना पसंद करना चाहिए, इन्हें निर्देशात्मक नियम कहते हैं। कुछ निर्देशात्मक नियम निम्न प्रकार हैं:

(अ) समानान्तर भाई-बहिन विवाह

यह विवाह दो भाइयों या दो बहिनों के बच्चों के बीच होता है। इनका उद्देश्य दो भाइयों या दो बहिनों के पारस्परिक सम्बन्धों को मजबूत करना होता है। ऐसे विवाह में गोत्र बहिर्विवाह के नियम अपवाद होते हैं। समानान्तर भाई-बहिन के विवाह मुसलमानों में पसंद किये जाते हैं

(ब) ममेरी-फुफेरी सन्तानों के बीच विवाह

यह विवाह मामा की लड़की या बुआ की लड़की के साथ होता है। दूसरे शब्दों में,

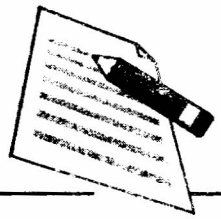

Notes

इस विवाह को मामा और बुआ के बच्चों यानी ममेरी-फुफेरी सन्तानों के बीच का विवाह कहते हैं।

भारत के कई भागों में विवाह के इस प्रकार को पसंद किया जाता है। ऐसे विवाह मध्य प्रदेश के गोण्ड और झारखण्ड के औराँव तथा खरीया जनजातियों में पाये जाते हैं। महाराष्ट्र में भी ऐसे विवाहों का प्रचलन है। दक्षिण भारत के हिन्दुओं में मामा के साथ विवाह सम्बन्ध निर्देशित है।

(स) पतिभ्राता विवाह

यह विवाह का वह रिवाज है, जिसमें विधवा उसके पति के भाई के साथ विवाह करती है। सामान्यतया पति का छोटा भाई बड़े भाई की विधवा के साथ विवाह करता है। इस विवाह का प्रचलन नीलगिरी पहाड़ियों के टोडाओं में पाया जाता है।

(द) साली विवाह

साली विवाह एक ऐसा रिवाज है, जिसमें एक विधुर अपनी मृत पत्नी की छोटी बहिन के साथ विवाह करता है। इस तरह का विवाह मध्य भारत के गोण्ड तथा बैगा जनजातियों में, प्राय:, पाया जाता है।

पाठगत प्रश्न 12.3

1. सही उत्तर छाँटिए:

   उच्च जाति के व्यक्ति का निम्न जाति की स्त्री के साथ विवाह को कहते हैं:

   (अ) अनुलोम विवाह

   (ब) प्रतिलोम विवाह

   (स) बहुविवाह

   (द) बहुपति विवाह

2. रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए:

   एक आदमी के अपनी मृत पत्नी की छोटी बहिन के साथ विवाह को .... कहते हैं।

Notes

(3) निम्न कथन सही है या गलत, बताइए:

प्रतिलोम विवाह वह है, जिसमें पत्नी उच्च जाति की होती है और पति निम्न जाति का।

(4) निम्न कथनों का मिलान कीजिए:

(अ) बहिर्विवाह	(1) विधवा का अपने मृत पति के भाई के साथ विवाह
(ब) अन्त: विवाह	(2) ममेरी-फुफेरी सन्तानों के बीच विवाह
(स) पतिभ्राता विवाह	(3) अपने ही समूह में विवाह करना
(द) समानान्तर भाई-बहिन विवाह	(4) अपने समूह से बाहर विवाह करना

12.4 विवाह के प्रकार्य

समाज में विवाह निम्नलिखित बुनियादी प्रकार्यों को पूरा करता है:

(1) **यौन संतुष्टि:** विवाह दो व्यक्तियों को निकट लाता है और समाज द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार उन्हें यौन सम्बन्ध रखने की स्वीकृति देता है। इसी अवधि में, विवाहित व्यक्तियों को समाज आपस में यौन सम्बन्ध-स्थापित करने की स्वीकृति देता है और किसी अन्य के साथ यौन सम्बन्धों को स्वीकृति नहीं देता है। इस प्रकार विवाह यौन सम्बन्धों को नियमित करता है।

(2) **बच्चों का प्रजनन और उनका पालन-पोषण:** विवाह के माध्यम से बच्चों का प्रजनन होता है और समाज के मानदण्डों के अनुसार उनका पालन-पोषण होता है। बच्चों का प्रजनन और उनका पालन-पोषण पारिवारिक पृष्ठभूमि में होता है। पति-पत्नी दोनों मिलकर बच्चों का पालन-पोषण करते हैं और उन्हें भौतिक तथा मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाते हैं। रिश्तेदार और मित्र भी बच्चों के पालन-पोषण में उनके माता-पिता को सहायता देते हैं।

जानवरों की अपेक्षा मनुष्य समाज में बच्चों को जीवित रखने के लिए अत्यधिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। विवाह का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकार्य बच्चे की देखभाल करना है।

(3) **आर्थिक सहयोग एवं सुरक्षा:** आर्थिक गतिविधियों में विवाह का मूल्यवान और भरोसेमंद प्रकार्य आर्थिक सहायता देना है। पति-पत्नी यानी जोड़े को यह भावना विवाह ही देता है कि वे घर, खेत-खलिहान, कुटीर उद्योग या किसी भी अन्य व्यवसाय में उस परिवार की सहायता करें, जिसे उन्होंने बनाया है। यह जोड़ा

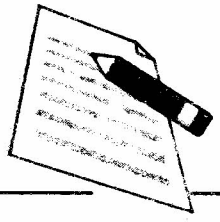

Notes

यह भी देखता है कि वे एक दूसरे की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करें। उन्हें मिलकर यह भी देखना चाहिए कि वे बच्चों की आर्थिक आवश्यकताओं जैसे कि भोजन, कपड़ा, आवास, शिक्षा, चिकित्सा और मनोरंजन की आवश्यकताओं को पूरा करें। परम्परा तो यह रही है कि पिछले दिनों में पति से धन कमाने की अपेक्षा रही है और पत्नी से यह अपेक्षित रहा है कि वह पति द्वारा अर्जित आय का व्यवस्थित प्रबन्धन करें। अब आजकल स्थिति बदल गयी है। यह सामान्य रूप से देखा जाता है कि अब पति-पत्नी दोनों मिलकर परिवार की आवश्यकता पूर्ति हेतु धन कमाते हैं।

(4) **सहचारिता और संवेगात्मक सहयोग:** विवाह पति और पत्नी के रूप में निरन्तर साथ रहने वाला एक जीवन साथी प्रदान करता है। प्रारम्भ में पति और पत्नी, प्राय:, एक दूसरे से परिचित नहीं होते लेकिन जैसे-जैसे वे एक साथ मिलकर जीवन बिताते हैं, धीरे- धीरे वे बहुत अच्छे मित्र हो जाते हैं। प्रत्येक गुजरने वाले वर्ष के साथ उनमें एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। सुख और दुख में वे दोनों एक दूसरे को सामाजिक, आर्थिक और संवेगात्मक रूप से मदद करते हैं। वे परिवार के प्रबन्धन में एक दूसरे के संदर्भ को समझने में होशियार हो जाते हैं।

पाठगत प्रश्न 12.4

1. सही उत्तर छाँटिए:

   निम्न में से किसे परिवार का महत्वपूर्ण प्रकार्य समझा जा सकता है।

   (अ) यौन संतुष्टि

   (ब) बच्चों का प्रजनन

   (स) आर्थिक सहयोग

   (द) उपरोक्त सभी

2. निम्न कथन सही है या गलत, बताइए।

   विवाह एक ऐसी संस्था है जो समूह तथा इसकी संस्कृति को जीवित रखती है।

3. "विवाह का महत्वपूर्ण प्रकार्य समूह तथा इसी तरह व्यक्ति के लिए है।" क्या यह बयान सही है या गलत।

4. विवाह के आर्थिक प्रकार्यों का उल्लेख कीजिए।

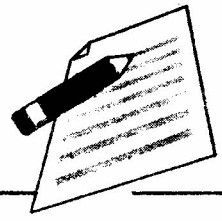

12.5 हिन्दू विवाह

12.5.1 उद्देश्य

हिन्दू समाज में विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार है। यह एक धार्मिक कर्तव्य है। संस्कार एक ऐसा कर्मकाण्ड है, जो व्यक्ति को शुद्ध करता है। प्रत्येक हिन्दू को विवाह करके एक कर्त्तव्य यानी धर्म पूरा करना चाहिए। इस धर्म के माध्यम से वह ब्रह्मचर्य आश्रम की अवस्था से विदाई लेकर जीवन की दूसरी अवस्था यानी गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है।

परम्परागत हिन्दू समाज में केवल एक विवाहित व्यक्ति ही अपनी पत्नी के साथ सभी सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में भागीदारी कर सकता है।

हिन्दू विवाह के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

(1) धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करना - *धर्म*

(2) बच्चों का प्रजनन करना (संतानोत्पत्ति) - *प्रजा*

(3) यौन संतुष्टि - *रति*

हिन्दू विवाह के तीन महत्वपूर्ण उद्देश्यों में धर्म को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को सामाजिक-धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए विवाह करना ही चाहिए। एक विवाहित जोड़े से यह अपेक्षा की जाती है कि वह बच्चों को जन्म देंगे और परिवार की परम्परा को आने वाली पीढ़ी तक बढ़ायेंगे।

यौन संतुष्टि हिन्दू विवाह का एक और उद्देश्य है परन्तु मात्र यही सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है।

12.5.2 हिन्दू विवाहः एक धार्मिक संस्कार के रूप में

हिन्दू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, जो एक व्यक्ति को शुद्ध करता है। विवाह को उतना पवित्र समझा जाता है कि हिन्दू ग्रन्थों में विवाह-विच्छेद की कोई संभावना नहीं है। वास्तव में, हिन्दू विवाह दो आत्माओं का मिलन है जो हमेशा के लिए एक दूसरे के प्रति वफादार होते हैं।

हिन्दू विवाह अग्नि देव के सामने कतिपय संस्कारों के साथ होता है। इसमें पवित्र धर्मग्रन्थों में दिये गये मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। विवाह का यह गठबन्धन किसी पवित्र व्यक्ति अर्थात ब्राह्मण द्वारा किया जाता है।

Notes

दूल्हा-दुल्हन दोनों ही विवाह के इस गठबन्धन में एक दूसरे के लिए आज्ञाकारी और भरोसेमन्द होने का वादा करते हैं। शुभेच्छु लोग पति-पत्नी को सुखी वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद देते हैं।

12.5.3 हिन्दू विवाह के परम्परागत स्वरूप

परम्परागत हिन्दू समाज में निम्नलिखित विवाह के आठ स्वरूपों को मान्यता प्राप्त है। इनमें से विवाह के चार स्वरूप उचित और वांछित समझे जाते हैं और आखिरी चार स्वरूपों को अवांछनीय माना जाता है।

- *ब्रह्म विवाह:* इसमें पिता एक विद्वान और सद्चरित्र व्यक्ति को अपनी लड़की भेंट स्वरूप देता है।
- *दैव विवाह:* इस विवाह में पिता अपनी पुत्री को किसी पुरोहित ब्राह्मण को भेंट करता है।
- *आर्ष विवाह:* इसमें दूल्हा दुलहन के पिता को विवाह से पहले गाय और बैल भेंट स्वरूप देता है।
- *प्रजापत्य विवाह:* इस विवाह में पिता अपनी पुत्री को दूल्हे के पिता से बातचीत कर विवाह तय करता है, हिन्दुओं में अधिकांश विवाह इसी श्रेणी में आते हैं।
- *असुर विवाह:* इस विवाह में लड़की के पिता को वधू का मूल्य दिया जाता है।
- *गांधर्व विवाह:* इस विवाह में दूल्हा और दुलहन दोनों अपने माता-पिता की सलाह लिए बिना एक दूसरे के साथ विवाह करते हैं।
- *राक्षस विवाह:* इस विवाह में लड़की का अपहरण कर लिया जाता है और लड़की तथा उसके माता-पिता की सहमति के बिना विवाह कर लिया जाता है।
- *पिशच विवाह:* इस विवाह में जब लड़की निद्रामग्न होती है, नशे में होती है या असंतुलित मस्तिष्क की होती है तब उसे अपना पातिव्रत धर्म छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। बाद में इस लड़की को पत्नी का दर्जा दे दिया जाता है।

12.6 मुस्लिम विवाह

12.6.1 मुस्लिम विवाह एक संविदा के रूप में

मुस्लिम विवाह या निकाह पुरुष और स्त्री में एक सामाजिक संविदा है। इसका उद्देश्य लैंगिक सम्बन्धों और बच्चों के प्रजनन को कानूनी रूप देना होता है। इस अर्थ में, निकाह हिन्दू विवाह से भिन्न है। मुस्लिम विवाह एक संविदा या समझौता है जो पति या पत्नी के चाहने पर तोड़ा जा सकता है। इसके तोड़ने का कारण यह भी हो सकता

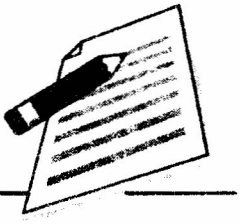

Notes

है कि पति या पत्नी ने विवाह के समय जो वादे किये थे, उन्हें पूरा नहीं कर सके।

मुस्लिम विवाह को गवाहों जिसमें मौलवी भी शामिल है, की उपस्थिति में विधिवत पूरा किया जाता है। निकाह में मौलवी कुरान की पवित्र आयतों को पढ़ता है और दूल्हा तथा दुलहन से उनकी रजामंदी मांगता है। वह यह भी पूछता है कि दूल्हा अपनी पत्नी को तलाक की स्थिति में मेहर देगा।

12.6.2 मुस्लिम विवाह के स्वरूप

मुस्लिम विवाह के चार स्वरूप हैं:

(अ) निकाह या सही निकाह

(ब) फासिद

(स) मुताह

(द) बातिल

- वह विवाह जो कुरान यानी मुसलमानों के धार्मिक ग्रन्थ में दिये गये नियमों के अनुसार होता है, नियमित विवाह, निकाह या सही निकाह कहा जाता है।
- वह विवाह जिसमें कतिपय नियमों का उल्लंघन होता है उसे 'अनियमित' या 'फासिद विवाह' कहते हैं। बाद में अनियमितता को हटा कर इस विवाह को सही विवाह का नाम दिया जाता है।
- मुसलमानों में अस्थायी विवाह करने की प्रथा भी है। इसे 'मुताह विवाह' कहते हैं। विवाह के इस प्रकार में एक निश्चित समय तक विवाह की अवधि पक्की की जाती है और इस अवधि के समाप्त होने के बाद विवाह सम्बन्ध अपने आप टूट जाते हैं। इस प्रकार के विवाह में अस्थायी सम्बन्धों की अवधि में जो बच्चे पैदा होते हैं, उन्हें उनके पिता की सम्पत्ति में से एक हिस्सा दिया जाता है।
- बातिल विवाह वह है, जिसको नियमित नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें मुस्लिम विवाह के कतिपय बुनियादी सिद्धान्तों का उल्लंघन होता है।

12.6.3 मुस्लिम विवाह में तलाक या विवाह–विच्छेद

मुसलमानों में तलाक का तरीका बहुत सामान्य होता है। एक पति तीन बार 'तलाक' शब्द बोलकर अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। लेकिन ऐसा करने पर पति को वह मेहर चुकाना पड़ता है जिसका उसने वादा किया था। मेहर देने का मतलब उसने पत्नी को वित्तीय स्थायित्व का जो नुकसान पहुंचाया था, उसका हरजाना देना होता है।

एक पत्नी भी अपने पति को तलाक दे सकती है, बशर्ते कि वह यानी पति तलाक को स्वीकार करता है। इस प्रकार के तलाक को 'खुला' यानी मुक्त तलाक कहते हैं।

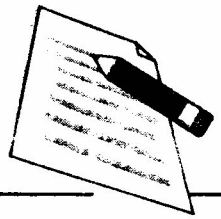

Notes

यदि पत्नी और पति आपसी सहमति से विवाह विच्छेद करते हैं तब उस विवाह विच्छेद को मुबारत कहते हैं।

मुसलमानों में विवाह विच्छेद मुस्लिम तलाक अधिनियम 1939 के द्वारा भी दिया जा सकता है।

पाठगत प्रश्न 12.5

1. निम्न कथन सही है या गलत, बताइए:

   हिन्दू विवाह को अपनी मर्जी माफिक तोड़ा जा सकता है।

2. सही उत्तर छाँटिए:

   हिन्दू विवाह का सबसे अधिक लोकप्रिय स्वरूप है

   (अ) बह्म (ब) प्रजापत्य (स) दैव

3. निम्नलिखित के जोड़े बनाइए:

(अ) आर्ष	(1) माता-पिता की सलाह के बाद किया गया विवाह
(ब) गांधर्व	(2) लड़के व लड़की की पारस्परिक सहमति के बाद किया गया विवाह
(स) दैव	(3) ब्राह्मण पुरोहित के साथ किया गया विवाह
(द) प्रजापत्य	(4) दूल्हे द्वारा दुलहन के पिता का विवाह उपरान्त गायों की एक जोड़ी या बैलों को भेंट में देना

4. मुस्लिम विवाह एक सामाजिक संविदा है। बताइए कि यह कथन सही है या गलत।

5. मुस्लिम विवाह के चार स्वरूप कौन से हैं?

12.7 विवाह में परिवर्तन

कई वर्षो से विवाह की संस्था में परिवर्तन आये हैं। इन परिवर्तनों को इस तरह रेखांकित किया जाता है:

- विवाह के स्वरूप में परिवर्तन आया है। इसका मतलब हुआ कि विवाह एकाधिक जीवन साथियों, बहुजीवन साथियों और एक विवाह की ओर बदला

है। आधुनिक समय में एक विवाह-विवाह का एक अत्यधिक लोकप्रिय स्वरूप है।

- विवाह साथी के वरण की प्रक्रिया में भी कई प्रकार के परिवर्तन आये हैं। अब आजकल लड़का और लड़की दूसरी जाति के जीवन साथी का वरण भी कर लेते हैं। इस तरह के अन्तर्जातीय विवाहों को अब बड़ी संख्या में समाज और परिवार भी मान्यता देने लगे हैं।
- विशेष विवाह अधिनियम, 1954 अन्तर्जातीय और अन्तर्धार्मिक विवाहों को मान्यता देने लगा है। इस अधिनियम के अनुसार, लड़के और लड़की को विवाह अधिकारी की उपस्थिति में कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने होते हैं।
- अब अधिकांश लड़के और लड़कियां अपने जीवन-साथी का वरण पारस्परिक आकर्षण और समान स्वभाव के आधार पर करते हैं। वरण की इस प्रक्रिया में माता-पिता की भूमिका, विशेष करके शहरी क्षेत्रों में, कम हो रही है।
- जीवन साथी वरण के आधारों में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। पिछले दिनों में परिवार के बुजुर्ग विवाह के प्रस्ताव को अंतिम स्वरूप देते थे और ऐसा करने में वे परिवार की प्रतिष्ठा आदि को ध्यान में रखते थे। आज भी प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण समझी जाती है लेकिन लड़के और लड़की की -- उनकी पसंदगी और नापसंदगी को भी तुलनात्मक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं।
- अब लड़के और लड़की वयस्क उम्र में विवाह करने लगे हैं। हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 ने इस बात की ताकीद की है कि विवाह के समय लड़के की उम्र 21 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए और लड़की की उम्र 18 वर्ष। बाल विवाह निषेध अधिनियम, 1929 के अनुसार, बाल विवाह पर पाबन्दी लगा दी गयी है।
- पहले हिन्दू विवाह को अविभाज्य समझा जाता था। लेकिन हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 ने हिन्दुओं में विवाह विच्छेद की स्वीकृति दे दी है जिसके परिणामस्वरूप विवाह का जो स्थायित्व था उस पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। लेकिन इस अधिनियम का सही पहलू यह है कि यदि पति-पत्नी पारस्परिक रूप से असंगत और अप्रसन्न हैं, तब वे एक दूसरे से छुटकारा पा सकते हैं।
- हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856 ने विधवा विवाह की स्वीकृति दे दी है। इससे पहले विधवाएं दूसरी बार विवाह नहीं कर सकती थीं।
- समाज के कुछ हिस्सों में दहेज की मांग उच्च शिखर पर पहुंच गयी है। थोड़ा दहेज लाने के कारण ससुराल के लोग लड़कियों को परेशान करते हैं, यहां तक कि उन्हें मार देते हैं। दहेज निषेध अधिनियम, 1961 ने दहेज लेने व देने पर पाबन्दी लगा दी है। यह अवश्य है कि यह अधिनियम अधिक प्रभावशाली नहीं है।

Notes

- दहेज प्रथा, जाति, धर्म और माता-पिता के दबाव का मुकाबला करने के लिए पढ़े-लिखे लड़के व लड़कियां अब माता-पिता द्वारा तय किये गये विवाहों को अस्वीकार करने लगे हैं।

पाठगत प्रश्न 12.6

1 निम्न कथन सही हैं या गलत; बताइए:

कानूनी तरीकों से भी हिन्दू विवाह अविभाज्य नहीं है।

2. निम्न में से सही उत्तर छांटिए:

विवाह के प्रति यह अभिवृत्ति हो रही है:

(अ) उपयोगिता पर आधारित (ब) परम्परा पर आधारित
(स) तर्क पर आधारित

3. निम्नलिखित के जोड़े बनाइए:

(अ) परम्परागत रूप में किया गया, विवाह	(1) परिवार की प्रतिष्ठा और जाति के आधार पर किया गया विवाह
(ब) आधुनिक आधार पर किया गया, विवाह	(2) जाति और दहेज के आधार पर किया गया विवाह
(स) अपनी पसन्दगी का विवाह	(3) पारस्परिक पसंदगी और ना-पसंदगी पर किया गया विवाह

4. निम्न में से सही उत्तर छांटिए:

परम्परागत रूप से किये गये विवाह का लड़के और लड़कियां इस कारण विरोध करते हैं:

(1) दहेज की बढ़ी-चढ़ी मांग

(2) लड़के और लड़की की विचारधारा की अवहेलना

(3) जीवन साथी के वरण में जाति और धर्म के प्रतिबन्ध

(4) उपर्युक्त सभी।

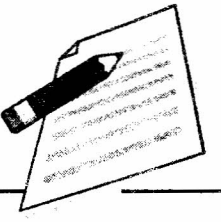

Notes

आपने क्या सीखा

- यह विवाह ही है जिसके आधार पर परिवार का निर्माण होता है।
- विवाह पुरुष और स्त्री का स्थायी सम्बन्ध है जिसकी स्वीकृति समाज देता है।
- विवाह पुरुष और स्त्री को जैवकीय संतोष देता है। इसके अतिरिक्त यह सामाजिक-आर्थिक सम्बन्धों द्वारा परिवार का निर्माण करता है।
- विवाह के प्रकार्य हैं:
  (1) यौन संतुष्टि
  (2) आर्थिक सहयोग
  (3) बच्चों का प्रजनन (संतानोत्पत्ति)
  (4) उनका लालन-पालन
- जीवन साथियों की संख्या के आधार पर विवाह के प्रकार और उनकी शर्तें:
  (1) एक विवाह
  (2) बहुविवाह
    (अ) बहुपत्नी विवाह
    (ब) बहुपति विवाह
- हिन्दू विवाह एक धार्मिक संस्कार है जो शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है।
- धर्म की दृष्टि से हिन्दू विवाह अविभाज्य है लेकिन अब हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अनुसार, विभाज्य है।
- मुस्लिम विवाह के चार स्वरूप हैं:
  (1) निकाह
  (2) फासिद
  (3) मुताह
  (4) बातिल
- मुसलमानों में तलाक के निम्न प्रकार हैं:
  (1) तलाक
  (2) खुला
  (3) मुबारत

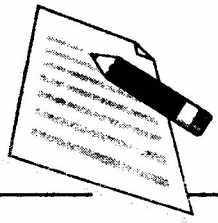

- विवाह से जुड़ी हुई अभिवृत्तियों में परिवर्तन आ रहा है। अब विवाह उपयोगिता पर अधिक से अधिक आधारित हैं। दहेज की मांग बढ़ रही है और इस कारण लड़कियों को यातनाएं दी जाने लगी हैं।
- पढ़े-लिखे लड़के और लड़कियां अब अपनी पसंदगी का विवाह करने लगे हैं। इससे जाति, धार्मिक प्रतिबन्ध और इसी तरह दहेज को टाल दिया जाता है।
- विवाह विच्छेद बढ़ रहा है। इसका कारण है कि पति और पत्नी एक दूसरे के बीच के अन्तहीन दुर्व्यहार को टालना चाहते हैं।
- विवाह विच्छेद के कानून अब सरल होने लगे हैं।
- विशेष विवाह अधिनियम, 1954 ने अन्तर्जातीय और अन्तर्धार्मिक विवाह को मान्यता प्रदान की है।
- हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856 ने विधवाओं को पुनःविवाह की स्वीकृति दी है।
- दहेज निषेध अधिनियम, 1961 ने दहेज लेने व देने पर पाबन्दी लगा दी है।
- हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 ने विवाह की न्यूनतम उम्र निश्चित कर दी है। लड़के के लिए यह 21 वर्ष है और लड़की के लिए 18 वर्ष है।

शब्दावली

अनुलोम: उच्च जाति के लड़के का निम्न जाति की लड़की के साथ विवाह।

ममेरे-फुफेरे भाई-बहिन के साथ विवाह: ममेरे-फुफेरे भाई-बहिन की सन्तानों के बीच में विवाह।

अन्त:विवाह: अपने ही समूह में विवाह करना आवश्यक। यह समाज के प्रतिबन्ध के कारण है। अन्त: विवाह की यह इकाई नातेदारी, धार्मिक समूह, सामाजिक वर्ग और जाति हो सकते हैं।

बहिर्विवाह: एक निश्चित समूह के बाहर बहिर्विवाह है। यह समूह नातेदारी समूह हो सकता है जैसे कि परिवार, गोत्र, गांव या कोई अन्य सामाजिक समूह।

निकटाभिगमन निषेध: एक ही एकाकी परिवार में यौन सम्बन्ध वर्जित होते हैं। दूसरे शब्दों में, पिता और पुत्री, माता और पुत्र, तथा भाई व बहिन में यौन-सम्बन्ध निषेध हैं।

संस्था: काम करने के और व्यवहार के स्थापित तरीके।

एक विवाह: एक ही समय में एक पुरुष का एक ही स्त्री के साथ विवाह।

समानान्तर भाई-बहिन विवाह: भाई-बहिन के बच्चों के बीच में समानान्तर विवाह। इसका मतलब हुआ दो भाइयों या दो बहिनों के बच्चों के बीच में विवाह।

बहुपति विवाह: विवाह का यह वह स्वरूप है, जिसमें एक स्त्री के एक ही समय में एक से अधिक पति होते हैं।

बहुविवाह: विवाह का वह स्वरूप, जिसमें एक पति के एक से अधिक पत्नियाँ होती हैं या एक ही समय में एक से अधिक पति होते हैं।

बहुपत्नी विवाह: विवाह का यह वह स्वरूप है, जिसमें एक ही समय में एक पति के एक से अधिक पत्नियाँ होती हैं।

प्रतिलोम: ऊंची जाति की लड़की का विवाह नीची जाति के लड़के के साथ होता है।

संस्कार: कर्मकाण्ड जो व्यक्ति को शुद्धि देता है।

पाठान्त प्रश्न

1. विवाह के प्रकार्यों को संक्षेप में समझाइए।
2. जीवन साथी की संख्या के आधार पर विवाह के प्रकार बताइए। उचित दृष्टान्त दीजिए।
3. हिन्दुओं में विवाह के उद्देश्य बताइए।
4. मुस्लिम विवाह हिन्दू विवाह से कितना भिन्न है?
5. निम्नलिखित पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए।
   (अ) प्रजापत्य विवाह
   (ब) सही निकाह
   (स) मुसलमानों में विवाह के प्रकार
   (द) विवाह के प्रति बदलती हुई अभिवृत्तियां

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

12.1

(1) सही (2) द (3) नागरिक और धार्मिक

12.2

(1) स (2) सही (3) बातचीत द्वारा

12.3

(1) अ (2) साली विवाह (3) गलत

(4) अ-(iv) (ब) (iii) (स)-(i) (द)-(ii)

12.4

(1) द (2) सही (3) सही

12.5

(1) गलत (2) ब

(3) (अ) (iv) (ब)-ii, (स)-iii (द)-(प)

(5) निकाह, फासिद, मुताह तथा बातिल

12.6

(1) गलत (2) अ

(3) अ. (i) ब. (ii) स. (iii)